R/sir,
Emerg
from Dep.
D/ 09/02/18 1-5

रविन

राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

फैक्स : 0141–2701822 फोन न: 0141– 2709635

क्रमांक –राप्राशिप / जय / आरएए / 2017–18 / 13226 दिनांक 9/2/18

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक)
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद
समस्त जिले।

विषय :–राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अन्तर्गत विज्ञान मेला आयोजन दिनांक 28.2.18 के संबध में दिशा–निर्देश।

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 2017–18 में विज्ञान शिक्षण को प्रोत्साहित करने एवं विद्यार्थियों द्वारा अपने ज्ञान एवं कौशल को प्रदर्शित करने का अवसर देने के लिए विज्ञान मेले की गतिविधि के आयोजन हेतु निम्न दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए :–

- विज्ञान मेले का आयोजन विद्यालय एवं जिला स्तर पर किया जाएगा।
- सभी गतिविधियों में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी भाग लेंगे।
- विज्ञान मेले की सभी गतिविधियों मे केवल सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी ही शामिल होंगे।

विद्यालय स्तर पर विज्ञान मेले का आयोजन

- विद्यालय स्तर के विज्ञान मेले का आयोजन 28 फरवरी 2018 से पूर्व जनवरी/फरवरी माह में किया जाएगा।
- विद्यालय स्तर पर संस्था प्रधान की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय निर्णायक मण्डल का गठन किया जाएगा।
- विद्यालय स्तरीय निर्णायक मण्डल में विज्ञान शिक्षक को आवश्यक रूप से शामिल किया जाएगा।
- विद्यालय से सभी गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन का चयन किया जाएगा। विद्यालय स्तर पर चयनित श्रेष्ठ प्रतिभागियों को जिला स्तर पर विज्ञान मेले में भाग लेना होगा।

जिला स्तर पर विज्ञान मेले का आयोजन

- जिला स्तर पर विज्ञान मेले का आयोजन 28 फरवरी 2018 को आयोजित किया जायेगा।
- विज्ञान मेले में चार तरह की गतिविधियां को शामिल किया जाएगा।

1. मॉडल प्रदर्शनी, 2. निबंध लेखन
3. क्विज आयोजन 4. विज्ञान विषय वार्ता।

- गतिविधियों के अनुसार विद्यार्थी समूह बनाये जायेगें।
- इनमें से प्रथम तीन प्रकार की गतिविधियां प्रतियोगी प्रकृति की होगी।

1. **मॉडल प्रदर्शनी** :– मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन **विद्यालय स्तर** पर 28 फरवरी 2018 से पूर्व कर लिया जाये। मॉडल प्रदर्शनी के सर्व श्रेष्ठ 3 प्रतिभागियों को जिला स्तर पर आयोजित होने वाले विज्ञान मेले में भाग लेने हेतु चयन किया जाये। मॉडल निर्माण के अन्तर्गत पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यक्रम के अतिरिक्त विज्ञान के किसी विषय पर मॉडल का निर्माण कर प्रदर्शित किया जाएगा।
2. **निबंध लेखन :विषय** :–दैनिक जीवन में विज्ञान, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनका योगदान, सूचना प्रौद्योगिकी का विद्यालय में उपयोग, जैव–प्रौद्योगिकी एवं नवीनतम वैज्ञानिक शोध, विद्यालय में कम्प्यूटर की उपादेयता, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान–एक परिचय।
उपरोक्त में से किसी एक विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सकता है।

समयावधि :– निबंध लेखन का समय 90 मिनट होगा।

www.rajteachers.com

मूल्यांकन :–3 निर्णायकों द्वारा किये गये मूल्यांकन के कुल योग के आधार पर निर्णय दिया जाये। मूल्यांकन के आधार बिन्दु निम्नानुसार है :–

(अ) प्रस्तावना	:	10 अंक
(ब) विषयवस्तु	:	40 अंक
(स) प्रस्तुतीकरण एवं विषय संयोजन	:	20 अंक
(द) भाषा एवं शैली	:	20 अंक
(य) उपसंहार	:	10 अंक
योग	:	100

3. **क्विज प्रतियोगिता** : विद्यालय स्तर पर चयनित सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी ही जिला स्तर पर विज्ञान मेले में क्विज प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व कर सकेगें। जिला स्तरीय प्रतियोगिता केवल हिन्दी माध्यम में आयोजित की जायेगी। क्विज प्रश्नों का निर्माण आयोजन से पूर्व ही कर लिया जाये तथा जिला स्तर पर 100 प्रश्न पत्रों की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये।

क्विज प्रतियोगिता लिखित प्रकार की होगी।

1. लिखित : लिखित परीक्षा की अवधि 60 मिनट तथा पूर्णांक 60 होगे।
2. ऑब्जेक्टिव (बहुविकल्पात्मक) प्रकार के प्रश्न हो।
3. उत्तर–पुस्तिकाओं के जांच के बाद वरीयता कम में प्रथम 3 स्थान प्राप्त विजेता प्रतिभागियों का चयन कर लिया जाये।

4. **विज्ञान विषय वार्ता :–**इण्टरनेट का दैनिक जीवन में उपयोग, वर्तमान युग में सौर उर्जा का महत्व, पर्यावरण प्रदुषण, स्वस्थ जीवन हेतु स्वच्छ वातावरण।

- उपरोक्त विषयों पर वार्ताएं आयोजित करवायी जाये।
- विद्यालय स्तर पर चयनित श्रेष्ठ प्रतिभागियों की सूचना तक डीपीसी पदने जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, प्रथम को आवश्यक रूप से भिजवा दी जायेगी।
- जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन 28 फरवरी को किया जाएगा।
- जिला स्तरीय आयोजन हेतु प्रति जिला **1,45,800 (एक लाख पैतालिस हजार आठ सौ) रू0** की राशि का प्रावधान है जिसका व्यय दिये गये वित्तीय प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
- जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक की अध्यक्षता में चार सदस्यीय निर्णायक मण्डल का गठन किया जाएगा।
- जिला कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक प्रदर्शन के लिए श्रेष्ठ प्रतिभागी का चयन कर राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित किया जाए।

जिला स्तरीय वित्तीय प्रावधान :–

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	राष्ट्रीय आविष्कार अभियान की गतिविधियों का एवं विज्ञान मेले का प्रचार प्रसार एवं आयोजन पूर्व तैयारी (प्रतियोगिताओं हेतु प्रश्न पत्र, अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्थार्थ)	8000/–
2.	नगद पुरस्कार **प्रथम 1000 x 3 x 3** **द्वितीय 750 x 3 x 3** **तृतीय 500 x 3 x 3**	9000/– 6750/– 4500/–
3.	टैन्ट/कुर्सी/मंच व्यवस्था/माइक व्यवस्था	25000/–
4.	विज्ञान मेले में मॉडल प्रदर्शनी/निर्माण मॉडल पुनर्भरण	7000/–
5.	जलपान/भोजन व्यवस्था	50000/–
6.	पुरस्कार/प्रमाण पत्र/स्मृति चिन्ह	10000/–
7.	वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी/प्रतिवेदन पुस्तिका निर्माण/अभिलेख संधारण	15000/–
8.	कन्टीजैन्सी/उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई व्यय यदि हो।	10550/–
	योग	145800/–*

*** क्रम संख्या 1 से 8 में उल्लेखित मदों में अति–आवश्यक होने पर राशियों में संशोधन जिला परियोजना समन्वयक के अनुमोदन पश्चात किया जा सकेगा लेकिन अधिकतम सीमा 145800/– ही रहेगी।**

www.rajteachers.com

(3)

सामान्य दिशा निर्देश :–

- जिला स्तर पर तीनों प्रतियोगिताओं (मॉडल प्रदर्शनी, क्विज, निबंध प्रतियोगिता) में विजेता प्रतिभागी को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार दिया जायेगा। प्रथम स्थान को 1000 रू. द्वितीय स्थान का 750 रू. तृतीय स्थान का 500 रू. का राशि का नगद पुरस्कार दिया जायेगा।
- जिला स्तर पर भाग लेने वाले प्रत्येक छात्र–छात्रा को प्रशस्ति पत्र/स्मृति चिन्ह दिया जाएगा।
- प्रशस्ति पत्र के मुद्रण अथवा खरीद संबंधी कार्य उपरोक्तानुसार बजट प्रावधान द्वारा किया जायेगा।
- विज्ञान मेले के आयोजन एवं समस्त मदों में राशि सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप उपयोग की जायेगी।
- जिला स्तर पर भाग लेने वाले छात्र–छात्राओं को वास्तविक यात्रा व्यय आरएए द्वारा विद्यालय स्तर पर नियमानुसार किया जाएगा।
- विद्यार्थियों के साथ आने वाले शिक्षकों को अपना यात्रा व्यय राज्य सरकार के नियमानुसार विद्यालय से ही देय होगा।
- जिला स्तरीय मेले का आयोजन सुबह 09 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा।

जिला स्तरीय कमेटी:–

उपरोक्त विज्ञान मेले के आयोजन हेतु विद्यालय का चयन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा कर लिया जाये एवं राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर को इसकी सूचना प्रेषित कर दी जाये।

1. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक पदेन जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, संबंधित जिला।
2. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, संबंधित जिला।
3. समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संबंधित जिला।
4. सहायक परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, संबंधित जिला।

विज्ञान मेले का आयोजन करने वाले विद्यालय हेतु निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक पदेन जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, संबंधित जिला द्वारा उपरोक्तानुसार पृथक से जारी किये जायेगे।

अतिरिक्त आयुक्त

क्रमांक –राप्राशिप/जय/आरएए/2017–18/13227 दिनांक :9/2/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. *निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।*
2. *निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।*
3. *निजी सचिव, निदेशक, रामाशिप, जयपुर।*
4. *निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।*
5. *निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।*
6. *नियंत्रक वित्त, राप्राशिप, जयपुर।*
7. *राज्य स्तरीय नोडल/मेंटरिंग अधिकारी, श्री अमर पटनायकजी।*
8. *उपायुक्त/जिला प्रभारी अधिकारी/उपनिदेशक, राप्राशिप, जयपुर।*
9. *लेखाशाखा, राप्राशिप, जयपुर।*
10. *जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए, समस्त जिले।*
11. *अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान संबंधित जिले को भेजकर लेख है कि उपर्युक्तानुसार विज्ञान मेले की गतिविधियों का कार्यक्रम सम्पादित करावें।*
12. *स्वयंसेवी संस्था सदस्य।*
13. *रक्षित पत्रावली।*

www.rajteachers.com

9/2/18
उपायुक्त, आई.टी.

समस्त BEEO निर्देशित ... (समाज) ... का आयोजन ... एवं विद्यालय